हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 29 अगस्त, 2011

संख्या : वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–46/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 23) जो आज दिनांक 29 अगस्त, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2011 का विधेयक संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश मनोनंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.–**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. धारा 2 का संशोधन.–हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 2 के खण्ड (क–v) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(क–vi)"डी.टी.एच(डायरेक्ट टू होम)" से कनेक्शन धारक के आवासिक या गैर–आवासिक स्थान पर, संदाय पर, प्रदर्शन अथवा पारेषण हेतु प्रसारण केन्द्र, उपग्रहों, एनकॉडर्ज, मल्टीप्लायर्ज, मोडलेटर्ज और डी.टी.एच. प्रापकों से युक्त वैयक्तिक डिश एंटीना और सैट–टॉप–वाक्स सहित उपग्रह कार्यक्रमों के प्रापण की प्रणाली अभिप्रेत है ; " ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन (शुल्क) अधिनियम, 1968 के विद्यमान उपबन्ध कर के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए डी.टी.एच. (डायरेक्ट टू होम) सेवा उपलब्ध करवाने वालों को अपने दायरे के अन्तर्गत नहीं लाते हैं । वर्तमान में लगभग 1,40,000 डी.टी.एच. कनेक्शन हैं और ऐसे कनेक्शनों पर मासिक प्रभार, प्रयुक्त किए गए चैनलों की संख्या पर निर्भर करते हुए 130/– रुपए से 200/– रुपए के बीच है । डी.टी.एच. प्रसारण एक छोटे डिश एन्टीना और सेट–टॉप–बॉक्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके आवासीय या व्यापारिक स्थानों पर प्रत्यक्षतः मिलता है । डिजिटिल रहते हुए पिक्चर की गुणवता उच्च स्तर की है और इसमें स्टीरियोफोनिक ध्वनि रहती है और यहां तक कि धरती का दूरस्थ स्थान भी इससे जुड़ सकता है । यह भी पाया गया है कि कुछ बड़ी कम्पनियों ने पहले ही डी.टी.एच. से युक्त एल.सी.डी., टैलीविजन और कन्वैशनल टैलीविजन का बाजारीकरण प्रारम्भ कर दिया है और आने वाले वर्षों में इसके बहुत अधिक व्यापक होने की सम्भावना है । इस प्रकार राज्य के राजस्व हित में यह आवश्यक समझा गया है कि इन डी.टी.एच. सेवा उपलब्ध करवाने वालों को पूर्वोक्त अधिनियम के दायरे में लाया जाना चाहिए । अतः अब "डी.टी.एच.(डायरेक्ट टू होम)" अभिव्यक्ति (पद) को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2 के अधीन परिभाषित करने का विनिश्चय किया गया है। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देयों की पूर्ति के लिए है ।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री ।

शिमलाः
तारीखः....., 2011

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने पर राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग 2.90 करोड़ रूपए की आय होने की संभावना है । विधेयक के उपबन्ध विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाएंगे और इस प्रकार कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा ।

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

——शून्य——

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन–एफ(16)–3/99)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2011 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 23 of 2011.

THE HIMACHAL PRADESH ENTERTAINMENTS DUTY (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Entertainments Duty (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act 1968, after clause (a-v), the following new clause shall be inserted, namely:-

> ‘‘(a-vi) “DTH(Direct to Home)” means a system of reception of satellite programmes with personal dish antenna and Set-Top-Box consisting of broadcasting center, satellites, encoders, multipleyers, modulators and DTH receivers for exhibition or transmission at a residential or non-residential place of a connection holder on payment;”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing provisions of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 does not cover the DTH (Direct to Home) service providers for the purpose of levy of tax. At present there are about 1,40,000/- number of DTH connections and the monthly charges on such connections ranges from Rs. 130/- to Rs. 200/- depending upon the number of channels to be used. The DTH transmission is received directly by the consumers at their residential or business places through a small Dish Antenna and a Set-Top-Box. The quality of picture being digital is of high standard and offer stereophonic sound, and it can connect even the remotest point on the earth. It has also been observed that some of the big companies have already started marketing of DTH enabled LCD televisions and conventional televisions and the field is expected to expand manifold in the years to come. Thus, it has been considered essential in the revenue interest of the State that these DTH service providers should be brought under the ambit of the Act ibid. Now, therefore, it has been decided to define the expression “DTH (Direct to Home)” under section 2 of the Act ibid. This has necessitated amendment in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Shimla:
The……2011

FINANCIAL MEMORANDUM

Clame 2 of the Bill when enacted is expected to generate approximately Rs. 2.90 crores per annum to the State Exchequer. The provisions of the Bill will be implemented through the existing Government machinery and there shall be no additional expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—-NIL—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA
(File No. EXN-F(16)-3/99)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Entertainments Duty (Amendment) Bill, 2011 recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.